जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान
JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
(An Institution of National Importance under the Ministry of Health & Family Welfare, GOI)
धन्वंतरि नगर, पुदुच्चेरी/Dhanvantari Nagar, Puducherry-605 006
Website: www.jipmer.edu.in Phone: 0413-2296022 Fax: 0413-2272067-2272735

सं.प्रशा.II/समिति/2022 दिनांक: 10.02.2022

कार्यालय आदेश

विषय: पार्किंग नियमों के उल्लंघन संबंधी मामलों को निपटाने के लिए समिति का गठन के संबंध में।

*****

पार्किंग नियमों के उल्लंघन संबंधी मामलों को निपटाने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठिन करने के लिए एतद् द्वारा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन दिया जाता है।

संकाय सदस्यों, कर्मचारियों, रेजिडेन्टों (क.रे./व.रे.) और संविदा कर्मचारियों (डी.आर.एल. एवं आउटसोर्सिंग एजेंसियों) एवं आगंतुकों (रोगियों/ परिचारकों/ विभिन्न कार्यालयों से आने वाले) द्वारा जिपमेर परिसर के पार्किंग क्षेत्रों के अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पार्किंग नियमों के बारे में एक परिपत्र जारी किया गया है और प्रति संलग्न है। परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ इसके आधार पर बनाये गए पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। संस्थान के कर्मचारियों द्वारा जिपमेर परिसर में पार्किंग संबंधी आचार संहिता को प्रभावी रूप से कार्यान्वित और लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।

क्र.सं.	नाम एवं पद्नाम	समिति में भूमिका
1	डॉ. देबदत्त बसु, आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान) एवं विभागाध्यक्ष, विकृति विज्ञान विभाग।	अध्यक्ष
2	डॉ. सखा विनोद कुमार, आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान), पल्मोनरी मेड्सिन विभाग।	सदस्य
3	डॉ. मोली मेरी थबाह, अपर आचार्य, कायचिकित्सा विभाग।	सदस्य
4	डॉ. के. रमेश बाबू, आचार्य, नेत्ररोग विज्ञान एवं पदेन प्रभारी अधिकारी, सुरक्षा।	सदस्य सचिव

समिति को सुरक्षा अनुभाग द्वारा प्रेषित पार्किंग उल्लंघन संबंधी मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। निर्धारित दरों के आधार पर जुर्माना लगाने का और आवश्यकता पडने पर, प्रशासनिक/ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अपनी संस्तुतियों के साथ मामला प्रशासन को अग्रेषित करने का अधिकार भी उन्हें सौपा गया है। पार्किंग उल्लंघन संबंधी नियमों को निपटाने के संबंध में समिति अपनी कार्यशैली तैयार की जा सकती है ताकि जुर्माने संबंधी प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा सके। समिति कम से कम प्रत्येक पाक्षिक में बैठक करेगी और अपनी सिफारिशें प्रशासन (संपदा अनुभाग) को प्रस्तुत करेगी। संबंधित कर्मचारी के वेतन/पारिश्रमिक/मजदूरी से जुर्माने की राशि की कटौती की जाएगी।

(कृ.पृ.उ.)

पार्किंग उल्लंघन के लिए जुर्माने की सूची-

उल्लंघनकर्ता की श्रेणी	उल्लंघन के स्वरूप	जुर्माना
सभी कर्मचारी (नियमित/ संविदा/ आउटसोर्सड)	कार्यालय समय से (24 घंटे से अधिक) ज्यादा निर्दिष्ट क्षेत्र में पार्किंग करने पर	प्रथम उल्लंघन के लिए प्रतिदिन रु. 200/- के दर से और तत्पश्चात् अगले तीन महीने में होने वाले उल्लंघन के लिए प्रतिदिन रु. 500/-।
	गैर-निर्दिष्ट क्षेत्र में पार्किंग - चार पहिए	प्रथम उल्लंघन के लिए प्रतिदिन रु. 200/- के दर से और तत्पश्चात् अगले तीन महीने में होने वाले उल्लंघन के लिए प्रतिदिन रु. 500/-।
	गैर-निर्दिष्ट क्षेत्र में पार्किंग - दो पहिए	प्रथम उल्लंघन के लिए प्रतिदिन रु. 100/- के दर से और तत्पश्चात् अगले तीन महीने में होने वाले उल्लंघन के लिए प्रतिदिन रु. 250/-।

यह निदेशक, जिपमेर के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्/-
(डॉ. कृष्ण गोपाल गोयल, आईआरएस)
उप निदेशक (प्रशासन)

सेवा में,

1. उक्त संबंधित अधिकारी (क्र.सं. 01 से 04 तक)।
2. सुरक्षा अनुभाग, जिपमेर - पूर्वोक्त अनुदेश के अनुसार पार्किंग क्षेत्रों की प्रबंध और अनुपालन के लिए।

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सभी विभागाध्यक्षों - सदस्य कर्मचारियों के बीच परिचालन के लिए।
2. निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक/ संकायाध्यक्ष (शैक्ष.)/ संकायाध्यक्ष (अनु.)/ उप निदेशक (प्रशा.) के निजी सचिव।
3. संकायाध्यक्ष (जिपमेर, कारैक्काल)।
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी के निजी सहायक।
5. विधि अधिकारी/ आउटसोर्सिंग विंग/ संपदा अनुभाग/ स.प्र.अ.- प्रशा.-I।
6. आई.टी. विंग- जिपमेर वेबसाइट पर अप्लोड करने के लिए।
7. सहायक निदेशक (रा.भा), हिन्दी सेल- उक्त को हिन्दी में अनुवाद करने और जिपमेर वेबसाइट पर अप्लोड करने के लिए।